पत्र संख्या मुख्यालय नकद धनराशि जमा 2017 / 18 / 1108 / 1718031 / वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(सचलदल अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: अगस्त, 30 2017

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर /
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0)/
ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) / (कार्यपालक)
उत्तर प्रदेश।

विषय: धारा 129 के अन्तर्गत अभिग्रहीत माल को नकद धनराशि जमा कराकर अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में।

मुख्यालय के परिपत्र संख्या-1718025 दिनांक 16-08-2017 द्वारा सचलदल अधिकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के प्राविधानों के अन्तर्गत परिवहन किए जा रहे अथवा परिवहन के दौरान भण्डारित किए जाने वाले माल की जांच के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए है। पुनः पत्र संख्या-1177 दिनांक 16-08-2017 द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि सचलदल इकाइयों द्वारा रूटीन जांच कार्य नही किया जाएगा अपितु नियन्त्रक ज्वाइण्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0) के सुस्पष्ट निर्देशों पर सूचना आधारित जांच की जाएगी। फील्ड स्तर से सचलदल अधिकारियों द्वारा मुख्यालय के संज्ञान में लाया गया है सूचना आधारित जांच पर बिना प्रपत्रों के पाए गए माल के सम्बन्ध में धारा-129 के प्राविधानों के अन्तर्गत देय कर और अर्थदण्ड की धनराशि जमा कर दिए जाने पर माल अवमुक्त किए जाने का प्राविधान किया गया है किन्तु अधिकारियों द्वारा GST PORTAL के माध्यम से नकद धनराशि कोषागार में जमा किए जाने की व्यवस्था अभी तक GST PORTAL पर नहीं हो पाई है जिसके कारण ट्रेजरी रसीद 385 जारी करते हुए प्राप्त धनराशि को कोषागार जमा किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

अतः इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि GST PORTAL पर नकद धनराशि जमा कराए जाने की व्यवस्था हो जाने तक धारा-129 के प्राविधानों के अन्तर्गत देय धनराशि सम्बन्धित अभिग्रहणकर्ता अधिकारी के पक्ष में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराई जाए एवं GST PORTAL पर समुचित व्यवस्था हो जाने पर चालान जनरेट करते हुए सम्बन्धित डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से कोषागार में जमा कराई जाए।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

30/08/17

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।